संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
E-mail : idspssu@mp.gov.in,
Phone : 0755-4094192

क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / भोपाल, दिनांक 06.04.2020

नोवल कोरोना वायरस कोविड–19 मीडिया बुलेटिन दिनांक 06.04.2020

1. प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये सर्वोच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी रोजाना इस कार्य में लगे हुए संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियो से विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से स्थिति की जानकारी ले रहे हैं।

2. मुख्य सचिव द्वारा भी प्रतिदिन विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं।

3. सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठतम अधिकारियों को कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी से निपटने के लिये नियोजित किया गया है ओर यह सभी अधिकारी अपने विभागीय अमले के साथ निरंतर प्रयास कर रहे है कि बीमारी के प्रसार को सीमित किया जाये तथा उसका प्रसार रोका जायें। अत्यावश्यक वस्तुओं एवं दवाईयों की आपूर्ति निरंतर सुनिश्चित की जा रही है।

4. मरीजों की संभावना को देखते हुये शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों / निजी अस्पताल में आई.सी.यू. बेड एवं वेन्टीलेटर की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में टोटल बेड फेशेलिटि 29,914 है जिसमें से आइसोलेशन बेड 9,492 चिन्हाकित किये गये है तथा आई.सी.यू. बेड की उपलब्धता 1598 है एवं वेन्टीलेटर 993 उपलब्ध है।

5. प्रदेश में कोविड–19 वायरस की टेस्टिंग की पर्याप्त सुविधा है, वर्तमान में 06 टेस्टिंग लेब पूरी तरह से फंक्शनल है। ये एम्स भोपाल, जीएमसी भोपाल, एन.आई.आर.टी.एच. जबलपुर, डीआरडीई ग्वालियर, बी.एमएच.आर.सी. भोपाल एवं मेडिकल कॉलेज इंदौर में संचालित है। 05 अन्य लेब प्रारंभ किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में हैं। वर्तमान में 5,000 टेस्टिंग किट उपलब्ध है और अधिक टेस्टिंग किट की आपूर्ति निरंतर की जा रही है।

6. चिकित्सकों, मरीजों एवं उनके परिवार की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा उपकरण, मास्क इत्यादि जिलो को उपलब्ध करा दिये गये हैं।

स.क्र.	सामग्री	आज दिनांक को उपलब्धता	रिमार्क
1	पी.पी.ई.किट	21,911 (12884 उपयोग किये जा चुके है)	1,72,000 नये क्रय किये जा रहे है।
2	एन–95 मास्क	77741 (31,579 उपयोग किये जा चुके है)	2,11,000 नये क्रय किये जा रहे है।
3	थ्री–लेयर मास्क	5,81,000 (27,000 उपयोग की जा चुके है)	10,00,000 नये क्रय किये जा रहे है।

7. कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के कारण लोगों की समस्याओं के समाधान के लिये एक विशिष्ट टेलीफोन नंबर 104 में जानकारी दी जा रही है। जिनके द्वारा आज तक 36016 से ज्यादा व्यक्तियों को समाधान कारक परामर्श दिया गया हैं।

8. कोरोना पॉजिटिव तालिका अनुसार उपचाररत है जिनके स्वास्थ्य की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। आज दिनांक तक कुल 3323 सेम्पल लिय जा चुके है, जिनमें से 2530 निगेटिव एवं 141 रिजेक्ट हुये है।

स.क्र.	जिले	पॉजिटिव	स्थिर	गंभीर	मृत्यु	स्वस्थ हुये
1	भोपाल	61	58	0	01	02
2	ग्वालियर	02	0	0	0	02
3	इन्दौर	151	116	23	09	03
4	जबलपुर	08	05	0	0	03
5	शिवपुरी	02	01	0	0	01
6	उज्जैन	08	06	0	02	0
7	खरगौन	04	03	0	01	0
8	मुरैना	12	12	0	0	0
9	छिन्दवाड़ा	02	01	0	01	0

10	बडवानी	03	03	0	0	0
11	बेतूल	01	01	0	0	0
12	विदिशा	01	01	0	0	0
13	अन्य राज्य	01	01	0	0	0
योग		**256**	**208**	**23**	**14**	**11**

9. निवास स्थान के अनुसार संभावित मरीजों की संख्या को देखते हुए इंदौर–35, जबलपुर–06, भोपाल–40, उज्जैन–2, ग्वालियर–2, शिवपुरी–2, खरगौन–03, बडवानी–01, छिन्दवाड़ा–05 एवं मुरैना–01 नियंत्रण क्षेत्र (Containment area) चिन्हित कर उन्हे कन्टेनमेंट के अंदर ले आया गया है।

10. होम क्वेरेण्टाईन किये गये लोगो को घरों से सीधे संवाद करने हेतु प्रत्येक जिले में टेलीमेडिसिन केन्द्र की स्थापना की गयी है। विडियो कॉलिंग के माध्यम से व्यक्ति सीधे टेलीमेडिसिन केन्द्रो के चिकित्सकों से संवाद स्थापित कर सकते हैं।

11. सार्थक एप लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मॅप आई.टी.के सहयोग से विकसित किया गया है जो Photo Base GEO Tagging पद्धति पर आधारित है। इसके द्वारा Qurantine किये गये व्यक्तियों की निगरानी की जा सकती है।

12. COVID-19 की रोकथाम के लिए सार्थक एप पर में प्रदेश के अनेक जिला से 26,800 स्वयं सेवको द्वारा इस कार्य को करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है।

13. स्वास्थ्य विभाग द्वारा WHO तथा यूनिसेफ के माध्यम से प्रशिक्षण मॉडूल तैयार किया जाकर स्वास्थ्य अमले को प्रशिक्षित कियाा जा रहा है।

14. होम कारोंटाईन में रखे गये संभावित मरीजों की निगरानी फिल्ड कर्मचारी एवं मेप आई.टी.द्वारा तैयार किये गये सार्थक एप द्वारा की जा रही है।

15. COVID-19 महामारी के रोकथाम हेतु जिले में मानव संसाधन सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संविदा जिला एपिडिमियोलॉस्टिके रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये है।

16. मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1947 की धारा 10 (Appointment of Health officer in Emergency) के तहत जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार कलेक्टर एवं जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की तीन माह के लिए अस्थाई नियुक्तियां किए जाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं जिसे परिपालन में विभिन्न जिलो अनुसार आवश्यकतानुसार नियुक्तियां की जा रही हैं।

17. प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य संस्थानों में किसी भी मरीज से कोई पंजीयन शुल्क या अन्य शुल्क नहीं किए जाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

18. स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा COVID-19 के संक्रमण के फैलाव को नियंत्रण हेतु कोटन मास्क के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

19. आज दिनांक तक कुल 3323

आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.